


रिपोर्ट पटवारी ~~अ.र.वेडा~~ तहसील ~~चाकसू~~ जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम ~~अ.र.वेडा~~
की खाता संख्या 78 में प्रार्थी का नाम कृष्णलाल
दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम किशनलाल
दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपग्रह है। अतः ग्राम ~~अ.र.वेडा~~
की खाता संख्या 78 में दर्ज नाम A कृष्णलाल
के बजाय सही इन्द्राज किशनलाल दर्ज किया जाना उचित है।



हस्ताक्षर प्रार्थना


06/06/23
भू-अभिलेख निरीक्षक
जयपुर

कार्यालय तहसीलदार ~~चाकसू~~ जिला जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ~~अ.र.वेडा~~ की
जमाबन्दी की खाता संख्या 78 में दर्ज नाम कृष्णलाल
के बजाय सही नाम किशनलाल दर्ज किया जाना
उचित है।

06/06/23/114
1906/06/23
जीमान उपखण्ड अधिकारी जयपुर


हस्ताक्षर तहसीलदार
06/06/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ~~चाकसू~~ जिला जयपुर

(~~राहत केंद्र के अ.र.वेडा~~)


प्रकरण संख्या 96 / 2023

दिनांक 06/06/23

5806
19/06/23

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार ~~अ.र.वेडा~~ की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ~~अ.र.वेडा~~
की जमाबन्दी की खाता संख्या 78 में दर्ज नाम/इन्द्राज कृष्णलाल
के बजाय सही नाम/इन्द्राज किशनलाल दर्ज करने
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार ~~अ.र.वेडा~~ आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद कर पालना करें।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)